भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1327

14 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र में निवेश

1327. श्री एस.आर. पार्थिबन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

सेलम इस्पात संयंत्र सहित इस्पात क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

इस्पात के एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण, सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए समर्थकारी वातावरण सृजित करने हेतु एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में इस्पात उत्पादकों को नीतिगत सहायता तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर इस्पात उत्पादन में "आत्मनिर्भरता" प्राप्त करने के लिए वातावरण उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. मंत्रालय में एक परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) की स्थापना की गई है जो नए निवेशों को सुगम बनाने के लिए परियोजनाओं की पहचान करने, प्रस्तावित परियोजनाओं का मूल्यांकन करने और उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के कार्य में संलग्न है।

ii. पूंजी निवेशों को आकर्षित करके घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए देश में विशेष इस्पात के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 6,322 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित करना।

iii. भारतीय इस्पात क्षेत्र में निवेश के बहुविध अवसरों और व्यापारिक संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में दुबई में आयोजित वर्ल्ड एक्स्पो जैसे कार्यक्रमों में प्रतिभागिता, जापान, कोरिया, रूस के इस्पात उत्पादकों के साथ मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल की चर्चा।

iv. देश में इस्पात के उपयोग, समग्र माँग और इस्पात क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित क्षमतावान प्रयोक्ताओं के साथ और अधिक सहभागिता से 'मेक इन इंडिया' पहल और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान।

v. भारतीय इस्पात क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कतिपय इस्पात उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क (एडीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जैसे व्यापार संबंधी उपचारात्मक उपायों को अंशशोधन (कैलिब्रेशन) के साथ इस्पात उत्पादों एवं कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क में समायोजन।

vi. सेलम इस्पात संयंत्र रणनीतिक विनिवेश के अधीन है, जिसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 27 अक्टूबर, 2016 को 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन प्रदान किया था।

भारत विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और वर्ष 2019-20 में कच्चे इस्पात की क्षमता 142.299 एमटी (मिलियन टन) थी, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 154.062 हो गई। विगत तीन वर्षों के लिए क्षमता का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

कच्चा इस्पात: राज्य-वार क्षमता ('000 टन)			
राज्य	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
आंध्र प्रदेश	8391	8614	8512
अरुणाचल प्रदेश	125	125	72
असम	131	131	163
बिहार	803	830	812
छत्तीसगढ़	18785	19191	20900
दादर व नगर हवेली	296	168	286
दमन और दीव	46	46	50
दिल्ली	16	16	16
गोवा	481	405	495
गुजरात	12754	13688	13512
हरियाणा	953	1037	1056
हिमाचल प्रदेश	1139	1144	1740
जम्मू और कश्मीर	189	189	189
झारखंड	19707	19488	20506
कर्नाटक	15149	15261	14249
केरल	480	480	473
मध्य प्रदेश	553	457	987
महाराष्ट्र	11961	12030	18038
मेघालय	181	181	201
ओडिशा	25370	25330	24587
पुदुचेरी	340	364	451
पंजाब	4924	5064	5506
राजस्थान	1176	1005	933
तमिलनाडु	3766	3722	3744
तेलंगाना	1443	1605	2033
त्रिपुरा	30	30	30
उत्तर प्रदेश	1617	1617	1606
उत्तराखंड	1559	1524	1512
पश्चिम बंगाल	9935	10172	11403
कुल	**142299**	**143914**	**154062**
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)			

****